



सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग-4, खण्ड (ख)

(परिनियत आदेश)

लखनऊ, मंगलवार, 3 नवम्बर, 2020

कार्तिक 12, 1942 शक सम्बत्

उत्तर प्रदेश शासन

नगर विकास अनुभाग-1

संख्या 1500/9-1-2020-19सा-13

लखनऊ, 3 नवम्बर, 2020

अधिसूचना

प0आ0-416

उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1916 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 2 सन् 1916) की धारा 56 एवं नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 50 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्ति के अधीन श्री राज्यपाल घोषित करती हैं कि निम्नलिखित विवरण के अनुसार स्तम्भ-3 में अंकित निकाय के सदस्य/पार्षद का पद उनके सम्मुख उल्लिखित कारण/तिथि से रिक्त हो गया है:-

क्र० सं०	जनपद	निकाय का नाम	वार्ड सं०/नाम	अध्यक्ष/सदस्य का नाम	मृत्यु/त्याग पत्र का दिनांक
1	हरदोई	नगर पालिका परिषद पिहानी	-	श्री हाजी मो० साजिद अंसारी (अध्यक्ष)	29-06-2020
2	सुल्तानपुर	नगर पंचायत कोईरीपुर	-	श्री रामराज कौशल (नामित सदस्य)	27-08-2020
3	अलीगढ़	नगर निगम अलीगढ़,	10	श्री भूदेव सिंह (पार्षद)	17-06-2020
4	हरदोई	नगर पालिका परिषद पिहानी	12	श्री शिव दुलारे शुक्ल (सदस्य)	22-01-2020

क्र० सं०	जनपद	निकाय का नाम	वार्ड सं०/नाम	अध्यक्ष/सदस्य का नाम	मृत्यु/त्याग पत्र का दिनांक
5	हरदोई	नगर पालिका परिषद पिहानी	13	श्रीमती बंगाली (सदस्य)	23-04-2020
6	हरदोई	नगर पालिका परिषद	10	श्री फखरूल इस्लाम फक्कन (सदस्य)	28-07-2020

आज्ञा से,
दीपक कुमार,
प्रमुख सचिव।